

पोलीस शल्य चिकित्सक, जे.जे शवविच्छेदन केंद्र, भायखळा,
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १३२ अस्थायी पदांना अस्थायी
पदांना दि.०१.०९.२०२५ ते दि.२८.०२.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ
देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन निर्णय क्र.सीआरए-०२२५/प्र.क्र.१५१/पोल-४

दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२५.

संदर्भ:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीआरए-०२२५/प्र.क्र.१५१/पोल-४, दि.२८.०३.२०२५.

२) पोलीस सहआयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/र.व का./
सुप्रिमा/१७६/२०२५, दि.२५.०८.२०२५ चे पत्र

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२६.०८.२०२५.

शासननिर्णय :-

पोलीस शल्य चिकित्सक, जे.जे शवविच्छेदन केंद्राच्या आस्थापनेवरील १३२ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच वरील संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सदर १३२ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२५ ते दि.३१.०८.२०२५ पर्यंत अटीच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्त नमूद संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२५ ते दि.२८.०२.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी पोलीस शल्यचिकित्सक, जे.जे शवविच्छेदन केंद्राच्या आस्थापनेवरील १३२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२५ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्यानुसार, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या १३२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२५ ते दि.२८.०२.२०२६ पर्यंत खालील अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त नाही व पदे ज्या कारणासाठी अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन करण्यात आले आहे.

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दि.२६.०८.२०२५ नुसार विहित केलेल्या अटीचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

३) दरम्यानच्या काळात आपल्या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. यानंतर, **सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही.** त्यानुसार सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन करून त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित झाला नसल्याने अस्थायी पदांना यापुढे मुदतवाढ न मिळाल्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांची राहिल.

२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस (००) १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस १०८ (०६) पोलीस शव परिक्षा केंद्र, (०६) (०१), बृहन्मुंबईतील पोलीस शव परिक्षा केंद्र (२०५५ ०३९१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दि.२६.०८.२०२५ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०९२३१६०५४९८५२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(भिकन ठाकूर)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई,
३. पोलीस शल्यचिकित्सक, जे.जे. शवविच्छेदन केंद्र, भायखळा, मुंबई,
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई,
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई,
७. वित्त विभाग (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई,
८. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४).

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआरए-०२२५/प्र.क्र.१५१/पोल-४, दिनांक २३.०९.२०२५ सोबतचे विवरणपत्र.
पोलीस शल्य चिकित्सक, शवविच्छेदन केंद्र, भायखळा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १३२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत

| अ.क्र. | पदनाम | पदसंख्या | पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक |
|--------|--|----------|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | ** यापूर्वी अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक- क्र. सीआरए- ०२२५/प्र.क्र.१५१/पोल-४, दि.२८/०३/२०२५ | | |
| १ | कार्यालयीन अधिक्षक | १ | क्र.सीआरए ०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| २ | प्रशासकिय अधिकारी (पूर्वीचे निबंधक) | १ | क्र.सीआरए-०१७८ए-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| ३ | वैद्यकिय अधिकारी | १ | क्र.सीआरए-०१८९-१७७०/(३८)-पोल-४, दि.१०/०८/१९९० |
| ४ | वैद्यकिय अधिकारी | ३ | क्र.सीआर-१०९५-११७६/(५८)-पोल-४, दि.३१/०८/१९९५ |
| ५ | वरिष्ठ लिपिक | १ | क्र.सीआरए ०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ६ | ए.सी.प्लॉट ऑपरेटर | ३ | क्र.सीआरए-१०८३-३१५८६-पोल-४, दि.११/०५/१९८४ |
| ७ | ए.सी.प्लॉट ऑपरेटर | १ | क्र.सीआरए-१०९६-२२७८-न.भा. पोल-४, दि.१३/०३/१९९७ |
| ८ | सहाय्यक लेखा अधिकारी | १ | क्र.सीआरए-१०८४-१५८३७-पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ |
| ९ | शवगृहसेवक (वर्ग-४) | १ | क्र.सीआरए-१०७५-१२५२३-१०पोल-४, दि.२५/०३/१९५७ |
| १० | शवगृहसेवक (वर्ग-४) | १ | क्र.सीआरए-१०७८ अ-३४०१५-१०पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| ११ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | ३ | क्र.सीआरए-१०९५-११७६(५८)पोल-४, दि.३१/०८/१९९५ |
| १२ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| १३ | शिपाई | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| १४ | शिपाई | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| १५ | सफाईगार | २ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| १६ | वैद्यकीय अधिकारी | १ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| १७ | वैद्यकीय अधिकारी | २ | क्र.सीआरए-०१७९-६१२१ -पोल-४, दि.०८/१०/१९८० |
| १८ | वैद्यकीय अधिकारी | १ | क्र.सीआरए-०१९५-११७६(७५८) -पोल-४, दि.०१/०८/१९९५ |
| १९ | अभिलेख लिपिक | १ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| २० | लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) मेडिको लिगल | १ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| २१ | लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) | १ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| २२ | ए.सी.प्लॉट ऑपरेटर | ३ | क्र.सीआरए-०१७९-६११२-पोल-४, दि.३०/०१/१९८१ |
| २३ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |

| अ.क्र. | पदनाम | पदसंख्या | पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक |
|--------|----------------------------|----------|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २४ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | ३ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| २५ | शवगृहसेवक (वर्ग ४) | ७ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| २६ | नाईक (वर्ग-४) | १ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| २७ | शिपाई | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| २८ | सफाईगार | २ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| २९ | शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-४) | ४ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| ३० | वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) | ३ | क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ |
| ३१ | वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) | १ | क्र.सीआरए-१०९५-११७६(५८) -पोल-४, दि.३१/०८/१९९५ |
| ३२ | लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) | ३ | क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ |
| ३३ | ए.सी.प्लॉट ऑपरेटर (वर्ग-३) | ३ | क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ |
| ३४ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | ४ | क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ |
| ३५ | नाईक (वर्ग-४) | १ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| ३६ | शिपाई | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ३७ | सफाईगार | २ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ३८ | शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-४) | ४ | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ |
| ३९ | शवगृहसेवक (वर्ग-४) | ७ | क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ |
| ४० | वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) | ४ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |
| ४१ | लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) | २ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ४२ | ए.सी.प्लॉट ऑपरेटर (वर्ग-३) | ३ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |
| ४३ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | ३ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |
| ४४ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ४५ | शिपाई | १ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ४६ | सफाईगार | २ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ४७ | शवगृहसेवक (वर्ग-४) | ४ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |
| ४८ | शवगृहसेवक (वर्ग-४) | ३ | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ |
| ४९ | शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-३) | ४ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |
| ५० | लघुलेखक (वर्ग -३) | १ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |

| अ.क्र. | पदनाम | पदसंख्या | पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक |
|--------|----------------------------|----------|--|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ५१ | लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) | १ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |
| ५२ | शिपाई (वर्ग-४) | १ | क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ |
| ५३ | वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) | ४ | क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली पदे) |
| ५४ | लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) | ३ | क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली पदे) |
| ५५ | शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) | ४ | क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली पदे) |
| ५६ | शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-३) | ४ | क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली पदे) |
| ५७ | शवगृहसेवक (वर्ग-४) | ७ | क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली पदे) |
| | एकूण | १३२ | |